राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/67

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना पत्र	15/2024	14/2/24	1/5/24 [illegible]	12/3/24

अनवान

श्री लीला देवी w/o कैलाश धाकड़ श्री नन्दा s/o खाना रेगर

निवासी जाबदा तह. बिजौलियां निवासी छोटा धड़ौदा तह. बिजौलियां

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री मुकेश कुमार धाकड़ श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

लीला देवी बनाम अन्य

किस्म मुकदमा – 111-128 नम्बर 15/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/2/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 12/3/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
12/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/4/24 को वास्त तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
16/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्त उत्तर पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली में निर्णय/आदेश पारित किए। पत्रावली में निर्णय तहसील ??? बिजौलिया को भेजा जावें। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 14/2/24

प्रकरण संख्या :– 15/24

लीला देवी पत्नि कैलाश चन्द्र जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

......................प्रार्थीया

बनाम

1. नन्दा पुत्र खाना जाति रेगर उम्र बालिग निवासी छोटा थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. जमनालाल पुत्र खाना जाति रेगर उम्र बालिग निवासी छोटा थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कैलाश पुत्र खाना जाति रेगर उम्र बालिग निवासी छोटा थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. छीतर पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. शंकर पुत्र रूपा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवीसी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. कैलाश पुत्र बलवन्त जाति नाई उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 01/05/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश धाकड़** एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 223 पर अंकित आराजी संख्या 6 रकबा 1.4083 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.4083 हैक्टेयर एंव इसी मौजा ग्राम में खाता संख्या 222 पर अंकित भूमि आराजी खसरा संख्या 5 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, खसरा संख्या 7 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 8 रकबा 0.1052 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.8822 हैक्टेयर भूमि** भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियांखुर्द को** पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित **मौजा ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 223 पर अंकित आराजी संख्या 6 रकबा 1.4083 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.4083 हैक्टेयर एंव इसी मौजा ग्राम में खाता संख्या 222 पर अंकित भूमि आराजी खसरा संख्या 5 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, खसरा संख्या 7 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 8 रकबा 0.1052 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.8822 हैक्टेयर भूमि** भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 15/24 तारीख दायर 14/02/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......15....../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

लीला देवी पत्नि कैलाश चन्द्र जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....................प्रार्थीया

बनाम

1. नन्दा पुत्र खाना जाति रेगर उम्र बालिग निवासी छोटा थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. जमनालाल पुत्र खाना जाति रेगर उम्र बालिग निवासी छोटा थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कैलाश पुत्र खाना जाति रेगर उम्र बालिग निवासी छोटा थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. छीतर पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. शंकर पुत्र रूपा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवीसी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. कैलाश पुत्र बलवन्त जाति नाई उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

...............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 223 पर अंकित आराजी संख्या 6 रकबा 1.4083 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.4083 हैक्टेयर एंव इसी मौजा ग्राम में खाता संख्या 222 पर अंकित भूमि आराजी खसरा संख्या 5 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, खसरा संख्या 7 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 8 रकबा 0.1052 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.8822 हैक्टेयर भूमि भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियांखुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एंव कमिशनर फीस 500/– रूप्ये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा । पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ